न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 862–दो/01 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.8.2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 162/92–93/निगरानी.

महेन्द्रसिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह
निवासी ग्राम गिरगांव परगना गोहद
जिला भिण्ड म.प्र. ---- आवेदक

विरूद्ध

मचलसिंह पुत्र चंदनसिंह
निवासी ग्राम गिरगांव परगना गोहद
जिला भिण्ड ---- अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओ. पी. शर्मा ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10 फरवरी, 15 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 862–दो/01 में पारित आदेश दिनांक 25.8.02 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित हैं, इस कारण उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकार्ड के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय है ।

5/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण पटेली का है और अनुविभागीय अधिकारी ने उभयपक्षों की योग्यता समान पाए जाने के कारण संहिता की धारा 222 के तहत निर्मित नियम

8 के अनुसार दोनों पक्षों के बीच मतदान के आदेश दिए हैं । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए स्थिर रखा गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक और विधिसम्मत है उसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण प्रकरण में हस्तक्षेप का कोई आधार हो ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर